<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264315 CG-DL-E-02072025-264315

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] No. 394]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2025/आषाढ़ 10, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2025/ASHADHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 437(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 4 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायेगा, अर्थात्:-
- "(10) संरचना या संरचनाओं से युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन के उपयोग के लिए फीस की दर की गणना संरचना या संरचनाओं की लंबाई के सिवाय राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की लंबाई में संरचना या संरचनाओं की लंबाई का दस गुना जोड़कर या राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, करके की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "संरचना" से कोई स्वतंत्र पुल, सुरंग या फ्लाईओवर या उत्थापित राजमार्ग से अभिप्रेत है।

4343 GI/2025 (1)

उदाहरण (i):

यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 10 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 30 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

10 x 30 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 10 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 310 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (ii):

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर की शुद्ध सड़क लंबाई और 10 किलोमीटर संरचना की लंबाई सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्नानुसार की जाएगी: -

10 x 10 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) + 30 (अर्थात संरचना की लंबाई के सिवाय शुद्ध सड़क की लंबाई) = 130 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लंबाई अर्थात 130 किलोमीटर के लिए की जाएगी।

उदाहरण (iii):

यदि राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है, जिसमें केवल संरचना सम्मिलित है, तो न्यूनतम लंबाई की गणना निम्न प्रकार की जाएगी: -

10 x 40 (अर्थात संरचना की लंबाई का दस गुना) = 400 किलोमीटर

या

राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी सेक्शन की कुल लंबाई का पाँच गुना = अर्थात 5 x 40 = 200 किलोमीटर

उपयोक्ता फीस की गणना कम लम्बाई अर्थात 200 किलोमीटर के लिए की जाएगी:

परंतु यह फीस की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग के भाग के रूप में किसी संरचना या संरचनाओं पर लागू नहीं होगी, यदि ऐसी संरचना की लंबाई साठ मीटर या उससे कम है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के सेक्शन की सामान्य लंबाई के भाग के रूप में माना जाएगा।

- (10 क) उप-नियम (10) के उपबंध सभी फीस प्लाजाओं पर लागू होंगे और ये निम्न तारीख से लागू होंगे,:-
 - (क) विद्यमान लोक वित्तपोषित फीस प्लाजाओं की दशा में अग्रिम अनुसूचित उपयोक्ता फीस पुनरीक्षण की तारीख से;
 - (ख) रियायत करारों की समाप्ति पर या रियायतग्राही द्वारा संचालित फीस प्लाजाओं के लिए कार्यकारी प्राधिकारी को वापस अंतरण पर; तथा
 - (ग) नए संचालित फीस प्लाजा में टोल संचालन प्रारंभ होने की तारीख से।

[फा. सं. एच-25016/02/2024-टोल (ई-244498)] विनय कुमार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.िन. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 388(अ), तारीख 17 जून, 2025 द्वारा अंतिम बार से संशोधित किये गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2025

- **G.S.R. 437(E).** In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: –
- 1. (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Second Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 4, for sub-rule (10), the following sub-rules shall be substituted, namely: –
- "(10) The rate of fee for use of a section of national highway comprising of structure or structures shall be calculated by adding ten times the length of structure or structures, to the length of the section of national highway excluding the length of structure or structures, or five times the total length of section of national highway, whichever is lesser.

Explanation. – For the purposes of this sub-rule, "structure" means an independent bridge, tunnel or flyover or elevated highway.

Illustration (i):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising net road length of 10 kilometers and 30 kilometers length of structure, the minimum length shall be computed as follows: —

 10×30 (i.e. ten times length of structure) + 10 (i.e. net road length excluding length of structure) = 310 kilometers

or

Five times the total length of the section of national highway = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometers

User fee shall be calculated on the lesser length i.e. for 200 kilometers.

illustration (ii):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising net road length of 30 kilometers and 10 kilometers length of structure, the minimum length shall be computed as follows: –

 10×10 (i.e. ten times length of structure) + 30 (i.e. net road length excluding length of structure) = 130 kilometers

or

Five times the total length of section of a national highway = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometers

User fee shall be calculated on the lesser length i.e. for 130 kilometers.

Illustration (iii):

If a section of national highway has a total length of 40 kilometers, comprising of structure alone, the minimum length shall be computed as follows: —

 10×40 (i.e. ten times length of structure) = 400 kilometers

or

Five times the total length of section of a national highway = i.e. $5 \times 40 = 200$ kilometers

User fee shall be calculated on the lesser length *i.e.* for 200 kilometers:

Provided that the calculation of fee shall not apply to any structure or structures, forming part of national highway, if length of such structure is sixty meters or less and it shall be considered as part of normal length of the section of national highway.

(10A) The provisions of sub-rule (10) shall apply to all fee plazas and shall take effect, –

- (a) from the date of next scheduled user fee revision in the case of existing public funded fee plazas;
- (b) upon expiry of concession agreements or transfer back to the executive authority for concessionaireoperated fee plazas; and
- (c) from the date of commencement of toll operations in the newly operated fee plazas.".

[F. No. H-25016/02/2024-Toll (E-244498)]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Note: –The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025.